भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 545
(दिनांक 21.07.2022 को उत्तर देने के लिए)

फर्जी समाचारों का प्रसारण

545. श्री नीरज डांगी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) विगत दो वर्षों के दौरान दूसरे देशों द्वारा भारत के विरुद्ध फर्जी समाचार का प्रसारण करने के संबंध में कितने मामले संज्ञान में हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारत द्वारा ऐसे टीवी चैनलों पर की गई कार्यवाही का देश-वार और चैनल-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारत में डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदत्त विदेशी चैनलों सहित सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें यह भी शामिल है कि कार्यक्रमों में कुछ भी अश्लील, अपमानसूचक, मिथ्या और विचारोत्तेजक संकेत और अर्धसत्य सामग्री न हो। कार्यक्रम संहिता का जहां भी उल्लंघन पाया जाता है, वहां उचित कार्रवाई की जाती है।

*****